न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 32/2021 (2021/67)

1. कमल जैन पुत्र श्री मिलापचन्द जैन जाति महाजन जैन(अग्रवाल) निवासी लाभचन्द मार्केट केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---वादी

♠ बनाम ♠

1. सुरेश पुत्र श्री जगदीश राठी निवासी जगदीशप्रसाद सुरेशचन्द राठी (कपडे की दुकान) जूनिंया गेट केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. भंवरलाल पुत्र श्री रामस्वरूप खाती जाति खाती निवासी सरसडी हाल अंकुर टेक्सटाईल्स सब्जी मण्डी, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. रमेश पुत्र श्री उच्छवलाल जैन मेहरू वाले, निवासी नेमीनाथ मंदिर वाली गली सापुन्दा रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 15.6.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके केकडी तहसील केकडी मे स्थित है। आराजी निम्न प्रकार है:-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1119-2023	9342/5089 9343/5096	0.74 0.34	बारानी 1 चाही 2
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.08हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी का 2/3 हिस्सा है तथा स्व श्री रूपचन्द जी एवं राजेन्द्रकुमार के वारिसान का 1/3 हिस्सा है तथा वादी एवं स्व श्री रूपचन्दजी एवं राजेन्द्रकुमार के वारिसान उक्त आराजीयात में संयुक्त रूप से अपने-अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का वाद वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा, हक अधिकार नही है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की नीयत सही नही है आराजीयात की कीमत बढ जाने से वे वादी एवं स्व श्री रूपचन्दजी एवं राजेन्द्रकुमार जी के वारिसान की उक्त आराजीयात के हिस्सा विशेष पर कब्जा करना चाहते है तथा इस कारण लडाई झगडा करने पर उतारू हो रहे है। दिनांक 15.2.2021 की बात है वादी अपने खेत पर सरसों की फसल को देखने आया हुआ था। तो प्रतिवादीगण एकराय होकर वहा पर आये तथा वादी से कहा कि तुम्हारी इस आराजीयात के पास मे हमने प्लॉट खरीद किये है तथा वह प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है व लडाई झगडा करते है प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही इस अवैध कार्यवाही से मजबूर होकर वादी को यह वाद पत्र वास्ते चाहने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण मय उनके एजेन्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वे वादी को वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित उनकी आराजीयात से बेदखल हो तथा ना ही वादी की आराजीयात मे किसी भी प्रकार से कब्जा करने से प्रयास करें तथा ना ही उसकी आराजीयता मे स्थित जाली व बबूल इत्यादि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने करे, जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली व जवाब हेतु कई अवसर देने के उपरांत उपस्थित नही हुए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर जवाब बंद किया गया। पत्रावली शहादत वादी मे वादी कमल जैन ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर ए टू वी हस्ताक्षर किये गये तथा प्रदर्श–1 जमाबंदी सवत 2076, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेश दस्तावेज पेश किये। जिरह शून्य रही। बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। तथा वाद वर्णित आराजी वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी के खाता संख्या 1119–2023 के कुल किता 2, कुल रकबा 1.08हैक्टर पर प्रतिवादीगण व उनके रिश्तेदार, एजेन्ट को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी अपनी आराजीयात से बेदखल हो तथा न ही आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट करे हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner